

फर्द अहकाम

साकल बनाम जय सुमर १५

उपखण्ड अधिकारी जमशानपुर

म न्यायालय  
स संख्या २३/२०२१

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	३/१२५	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सच हाक  <del>उपखण्ड / कार्यवाही</del> <del>उपखण्ड</del> प  <del>आज्ञा</del> <del>विस्तृत</del> <del>रूप</del> से                      ३/१२५</p>	
	३/११२५	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सच हाक  <del>उपखण्ड / कार्यवाही</del> <del>उपखण्ड</del> प  <del>आज्ञा</del> <del>विस्तृत</del> <del>रूप</del> से                      ११/२२५</p>	
११/२२५		<p>पत्रावली पेश हुई। पैरोकार साकल                      उपष अजावकी अनुष पत्रावली का                      अधल्लोकन किया गया। अजावकी ने                      आदिनांक २३ अजाव पेश नहीं किया                      मई। अजावकी का अजाव अन्त किया                      जा रहा है। अजावकी व पैरोकार साकल                      की अज्ञान बुनी गई तथा पत्रावली का                      अधल्लोकन किया गया। मई।                      पैरोकार साकल (वहालीलयाह) द्वारा                      अज्ञान बाद अन्तर्गत धारा १७७ राज                      कारकारी अधिकारी को स्वीकार किया                      जा रहा है। तथा अज्ञान अज्ञान अज्ञान                      में अज्ञान जाकर शामिल अज्ञान                      किया गया।                      अज्ञान अज्ञान।                      पत्रावली अज्ञान अज्ञान अज्ञान                      अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान                      अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान                      अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जमशानपुर